

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर संगरिया।

नाम पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रार्थना - पत्र नम्बर 77/2025

प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

लालचन्द पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—प्रार्थी।

बनाम

1. जसवन्त सिंह पुत्र श्री चेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. मिठूसिंह पुत्र श्री चेताराम कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. गुरबचन सिंह पुत्र श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
4. दर्शन सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुम्हार निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
5. हरचेत सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुम्हार निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र संख्या:-08/2026

प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

1. दर्शन सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुम्हार निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. हरचेत सिंह पुत्र श्री सोहन लाल जाति कुम्हार निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. गुरबचन सिंह पुत्र श्री सोहनलाल जाति कुम्हार निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।

—प्रार्थीगण।

बनाम

1. मिठूसिंह पुत्र श्री चेताराम कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री चेताराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नुकेरा तहसील संगरिया।
3. लालचन्द पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1. श्री तनवीर अहमद अधिवक्ता-प्रार्थी प्र.स. 77/2025
2. श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता-अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्र.स. 77/2025
3. श्री गुरमीत सिंह कलसी अधिवक्ता- अप्रार्थी संख्या 3, 5 प्र.स. 77/2025
3. श्री गुरमीत सिंह कलसी अधिवक्ता- प्रार्थीगण। प्र.स. 08/2026
4. श्री तनवीर अधिवक्ता-अप्रार्थी संख्या 03 प्र.स. 08/2026

निर्णय

दिनांक:- 8.5.2024

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 77/2025 अन्तर्गत धारा 251 ए आरटी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के नाम तहसील संगरिया के चक3एन.के.आर. के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्दवगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में कुल 1.598 है, कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमे प्रार्थी के नाम तथा कब्जा काफ्त में प.नं. 148/145 मु.नं. 19 कि.नं. 11 ता 13 का अलग खेत है तथा प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 11, 12, 13, 19 व 20 की 05 बीघा कृषि भूमि का अलग खेत है। जिसका प्रार्थी मालिक एवं काबिज है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 जसवन्त सिंह, मिठू सिंह पुत्रगण श्री चेताराम सगे भाई हैं। जिनके नाम तहसील संगरिया के चक3एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है। कृषि भूमि तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 गुरबचन सिंह, दर्शन सिंह, हरचेत सिंह पुत्रगण सोहनलाल के नाम इसी चक के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा में कुल 3.919 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त चक के उक्त खाता में से खाता सं. 85/14 में प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/2 में 0.025 है। गै.मु.रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/1/0.228 है, 1/2/0.025 है। गै.मु. रास्ता अप्रार्थी

उपस्थित अधिकारी
संगरिया

सं. 1 व 2 के कब्जा काष्ठ में है तथा इसी चक के खाता सं. 132/18 में दर्ज प.नं.149/146 मु.नं. 25 कि. नं. 10/0.253 है; अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के कब्जा काष्ठ में है। प्रार्थी को अपनी तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर.के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में कुल 1.598 है, कृषि भूमि में प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 11,12,13,19व20 की 05 बीघा कृषि भूमिमें आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि काष्ठ करने के लिये आने-जाने में बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतपुदा रास्ता नहीं होने के कारण उक्त कृषि भूमि की सुचारु रूप से काष्ठ नहीं हो रही है। अब प्रार्थी अपने खेत में आने-जाने हेतु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज तथा उनके कब्जा काष्ठ कीचक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है। कृषि भूमिमें सेप.नं.149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/1/0.228 है, मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा(पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण)तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा में दर्ज कुल 3.919 है। कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं.10/0.253 है.मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा रास्ता (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) इस प्रकार कुल 0.050 है। रास्ता को स्वीकृत करवा गैर मुमकिनरास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। क्योंकि उक्त रास्ता प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु नजदिकी एवं सुविधाजनक रास्ता है। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप कृषि भूमि का बाजार मुल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थी सं. 1 ता 5 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थीचक चक 3 एन.के.आर. के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में कुल 1.598 है, कृषि भूमि में प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 11,12,13,19व20 की 05 बीघा कृषि भूमिमें आने जाने हेतु नजदिकी एवं सुविधाजनक रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज तथा उनके कब्जा काष्ठ की चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है। कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/1/0.228 है, मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा(पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा में दर्ज कुल 3.919 है। कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 10/0.253 है. मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा रास्ता (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) इस प्रकार कुल 0.050 है। रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि आप अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जाकाष्ठ की तथा कब्जा काष्ठ की 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है। कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/1/0.228 है, मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा(पत्थर लाईन के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा में दर्ज कुल 3.919 है। कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 10/0.253 है. मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा रास्ता (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) इस प्रकार कुल 0.050 है। रास्ताको राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवे तो पहले तो अप्रार्थीगण आजकल-आजकल कर टाल मटोल करते, रहे लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। अप्रार्थी सं. 6 को भु-धारक होने के कारण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने का है जो माननीय न्यायालय के अधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा एक रुपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

उपस्थित अधिकारी
संगरिया



अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु नजदिकी एवं सुविधाजनक रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज तथा उनके कब्जा काफ्त की चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/1/0.228 है., मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 ता 5 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा में दर्ज कुल 3.919 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 10/0.253 है. मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा रास्ता (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) इस प्रकार कुल 0.050 है. रास्ता स्वीकृत किया जाकर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गिना मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करने के आदेश देने की कृपा करे।

द्वितीय प्रार्थना पत्र संख्या 08/2026 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथा इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में कुल 3.919 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण सगे भाई है। उक्त कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 है.प्र., यानि 0.632 है. कृषि भूमि तथा कि.नं. 18,23/0.253 है.प्र., यानि 0.506 है. कृषि भूमि के दो अलग अलग खेत है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी सलंगन प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 मिठू सिंह, जसवन्त सिंह पुत्रगण श्री चेताराम सगे भाई है। जिनके नाम तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी सलंगन प्रार्थना पत्र है। जिसमे प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.गै.मु. रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जा काफ्त में है। अप्रार्थी सं. 3 के नाम तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर. के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में कुल 1.898 है., कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी सलंगन प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण को अपनी तहसील संगरिया के चक 3 एन.के.आर.के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में कुल 3.919 है., कृषि भूमि में प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 है.प्र., यानि 0.632 है. कृषि भूमि तथा कि.नं. 18,23/0.253 है.प्र., यानि 0.506 है. कृषि भूमि में आवागमन के लिये एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि काफ्त करने के लिये आने-जाने में बिना स्वीकृत रास्ता के भारी असुविधा होती है तथा प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में स्वीकृतपुदा रास्ता नहीं होने के कारण उक्त कृषि भूमि की सुचारु रूप से काफ्त नहीं हो रही है। अब प्रार्थीगण अपने खेत में आने-जाने हेतु रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज तथा उनके कब्जा काफ्त कीचक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है., मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (कि.नं. 03 के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) प्रार्थीगण के कब्जा काफ्त की प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 है.प्र. यानि 0.632 है. कृषि भूमि में प्रवेश हेतु तथा अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द में दर्ज कुल 1.898 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.253 है.मे से 0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) तथा कि.नं. 13/0.253 है. में से 0.025 है., उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) प्रार्थीगण के कब्जा काफ्त की कृषि भूमि में प.नं. 149/146 मु.

नं. 25 कि.नं. 18,23/0.253 हे.प्र., की कुल 0.506 है. कृषि भूमि में प्रवेश हेतु रास्ता को स्वीकृत करवा गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवाना चाहता है। क्योंकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने हेतु नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ता से अपने दोनों खेतों में आवागमन कर सकता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण को अपने दोनों खेतों में आने जाने हेतु नजदीकी एवं सुविधाजनक होने के साथ साथ प्रार्थीगण केवल एक रास्ते से ही अपने दोनों खेतों में आ जा सकेंगे तथा अप्रार्थी सं.3 लालचन्द पुत्र श्री सुखराम को भी अपने खेत में आने जाने हेतु सुविधा रहेगी। प्रार्थीगण उक्त रास्ता की भूमि के प्रतिफल स्वरूप कृषि भूमि का बाजार मूल्य जो भी उचित समझे तथा कृषि भूमि के बदले रास्ता की एवज में उतनी ही कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 3 को देने के लिये तैयार व तत्पर है। अतः प्रार्थीगण चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में कुल 3.919 है. आराजी में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 8/1/0.126 है., 9,10/0.253 हे.प्र., यानि 0.632 है. कृषि भूमि तथा कि.नं. 18,23/0.253 हे.प्र., यानि 0.506 है. कृषि भूमि में आने जाने हेतु नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज तथा उनके कब्जा काफ्त की चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है., मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (कि.नं. 3 के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द में दर्ज कुल 1.898 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.253 है. मे से 0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) तथा कि.नं. 13/0.253 है. में से 0.025 है., (उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि आप अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज तथा कब्जा काफ्त की कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2,912 व 13 में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज करवा दें तथा उक्त रास्ता की कृषि भूमि के बदले में प्रार्थीगण मुताबिक डी.एल.सी. दर आपको तथा उक्त रास्ता की कृषि भूमि के बदले में तथा उतनी ही कृषि भूमि देने के लिए तैयार है। लेकिन पहले तो अप्रार्थीगण आजकल-आजकल कर टाल मटोल करते रहे लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। अप्रार्थी सं. 4 को भु-धारक होने के कारण अप्रार्थी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने का है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा एक रुपये के न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने, कृषि कार्य करने एवं कृषि यंत्र लाने व ले-जाने हेतु नजदीकी एवं सुविधा जनक रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है., मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (कि.नं. 3 के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द में दर्ज कुल 1.898 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.253 है. मे से 0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) किला नम्बर 9 तथा कि.नं. 13/0.253 है. में से 0.025 है., (उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) रास्ता स्वीकृत किया जाकर उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन करने के आदेश देने की कृपा करे।

प्रथम प्रार्थना पत्र संख्या 77/2025 व द्वितीय पश्चावर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 08/2026 में समान पक्षकार, विवादित आराजी व रास्ता स्वीकृति के लिए विधिक एवं न्यायिक बिन्दु एक समान होने से दोनों



प्रार्थना पत्र को एक साथ समायोजन (**Consolidate**) किया गया है उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है जो दोनो पर समान रूप से लागू होगा।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार संगरिया से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण संख्या 77/2025 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया व अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आया एवं अप्रार्थी संख्या 3, 5 ने प्रकरण संख्या 08/2026 दर्शन सिंह वगैरा बनाम मिटूसिंह वगैरा के साथ इस प्रकरण को (**Consolidate**) कर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है, मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (कि.नं. 3 के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द में दर्ज कुल 1.898 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.253 है. मे से 0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) किला नम्बर 9 तथा कि.नं. 13/0.253 है. में से 0.025 है, (उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन करते हुए अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्र क्रमांक राजस्व/2019/3070 दिनांक 22.12.2025 से मौका रिपोर्ट मय चित्र प्रति पटवारी हत्का रिपोर्ट व चित्र प्रति नजरी नक्शा प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

पश्चातवर्ती प्रार्थना पत्र संख्या 08/2026 में अप्रार्थी संख्या 3 ने चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द में दर्ज कुल 1.898 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.253 है. मे से 0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) किला नम्बर 9 तथा कि.नं. 13/0.253 है. में से 0.025 है, (उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हुए जवाब दावा पेश किया।

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस व अप्रार्थी बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट मय उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, प्रकरण संख्या 77/2025 में प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज तथा उनके कब्जा काशत की चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 1/1/0.228 है, मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 तथा 5 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 132/18 खाता गुरबचन सिंह वगैरा में दर्ज कुल 3.919 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 10/0.253 है. मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा रास्ता (पत्थर लाईन के साथ- साथ उत्तर से दक्षिण) इस प्रकार कुल 0.050 है. में रास्ता चाहा गया है तथा प्रकरण संख्या 08/2026 में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज चक 3 एन.के.आर. खाता सं. 85/14 खाता जसवन्त सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 (जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022) में दर्ज कुल 3.904 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.228 है, मे से 0.025 है. यानि 02 बीस्वा (कि.नं. 3 के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण) तथा अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज इसी चक के खाता सं. 107/56 खाता लालचन्द में दर्ज कुल 1.898 है. कृषि भूमि में से प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.253 है. मे से 0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) किला नम्बर 9 तथा कि.नं. 13/0.253 है. में से 0.025 है, (उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) रास्ता चाहा गया है। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगणों को रास्ता की अत्यांतिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नहीं की जा रही है। जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते हैं लेकिन राजस्थान शासकीय अधिनियम की धारा 251-ए के तहत किसी काशतकार के पास खातेदारी कृषि भूमि के लिये

कार्य हेतु मजूर शुद्ध रास्ता का अभाव है तो उसे निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाये जाने का स्पष्ट प्रावधान किये गये है इसलिये प्रार्थीगण को रास्ता से वंचित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना-पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थीगण की कब्जाकाश्त कृषि भूमि में काश्त करने बाबत आने-जाने हेतु मजूर शुद्ध रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में चक 3 एन.के.आर. प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 2/1/0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा (कि.नं. 3 के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण) लम्बा व किला नम्बर 9/0.025 है. यानि 02 बीस्वा चौड़ा (कि.नं. 8 के साथ-साथ उत्तर से दक्षिण) लम्बा एवं प.नं. 149/146 मु.नं. 25 कि.नं. 12/0.0025 है. यानि 02 बीस्वा (16.5" x 16.5") (उत्तरी कोने में कि.नं. 9 से चिपता हुआ) तथा कि.नं. 13/0.025 है., (उत्तर से दक्षिण कि.नं. 12 से चिपता हुआ) रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में दर्शन सिंह, हरचेत सिंह, गुरबचन सिंह का प.न. 149/146 मु.न. 25 किला नं. 9/0.011 है., 10/0.012 है. किलो की उत्तरी दिशा में किला नम्बर 1 व 2 के साथ चिपती हुई कम कर जसवंत सिंह व मिटूसिंह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। उक्त पत्रावलियाँ फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ़्तर की जावे। तहसीलदार राजस्व संग्रहिया को निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8-5-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(जय कौशिक)
उपस्थित अधिकारी
संग्रहिया